19 अप्रैल, 2017

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली

भारत की विदेश व्यापार नीति में परिवर्तन

पर

विशेष रिपोर्ट

डॉ. अरुंधति शर्मा

सारांश

इस लेख में पिछले 15 वर्षों और उससे पूर्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की विदेश व्यापार नीति के रुझानों, व्यापार प्रदर्शन - निर्यात और आयात पर इन परिवर्तनों का प्रभाव, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के संदर्भ में विदेशी निवेश के प्रवाह पर चर्चा की गई है। भारत की विदेश व्यापार नीति के अवलोकन से शुरुआत करते हुए लेख में निर्यात, आयात, एफडीआई, एफपीआई और उनकी संरचना तथा दिशा पर आंकड़ा समुच्चय का विश्लेषण किया गया है। भारत के उदारीकरण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता यह लेख आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु शुरु की गई विभिन्न सरकारी पहलों का विश्लेषण करता है। लेख का तर्क है कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने आर्थिक हितों की खोज में एकतरफा व्यापार उदारीकरण की कार्यप्रणाली पर बना रहे, जो भारत की विदेश व्यापार नीति का आधार रहा है।

प्रस्तावना

किसी देश की विदेश व्यापार नीति में विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं, जिसमें न केवल निर्यात तथा आयात से जुड़े निर्णय होते हैं बल्कि इससे संबंधित उपाय, नीतियां और प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। विदेशी व्यापार विशेष रूप से बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक व्यापार संरचना की नई विशेषताओं, जैसे कि वृहद क्षेत्रीय समझौतों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बदलती गतिशीलता के साथ संयुक्त रूप से संरक्षणवाद के प्रति बढ़ते रुझान की विशेषता बाहरी वातावरण की

स्थिति का भारत के व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। यह इस संदर्भ में है कि यह लेख 2000 से भारत की विदेश व्यापार नीति के रुझानों का आकलन करने का प्रयास है।

ऐसा करते हुए लेख का पहला खंड भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करता है। दूसरा खंड वर्षों से नीतिगत परिवर्तनों की समीक्षा करने हेतु एफटीपी की मुख्य विशेषताओं को समझने के प्रयास है, जो क्रमिक रूप से एफ़टीपी दस्तावेजों में रेखांकित है।इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) दोनों के संदर्भ में भारत के निर्यात और आयात तथा विदेशी निवेश प्रवाह में प्रमुख रुझानों का मूल्यांकन किया गया है। अगला खंड सरकार द्वारा हाल ही में उदारीकरण पर किए गए कुछ नीतिगत उपायों जैसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) और औद्योगिक गलियारों का विकास का विश्लेषण करता है। अंतिम खंड पिछले खंडों में किए गए विश्लेषण के आधार पर विकास को सारांशित करता है।

भारत की विदेश व्यापार नीति

भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के विकास को विदेशीय गतिकी और घरेलू प्राथमिकताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है।[i] 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति आर्थिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित रही है। 1947-1990 के दौरान, भारत की आर्थिक विकास रणनीतियों को आत्म-निर्भरता और शिशु-उद्योग नीति यानि यानि घरेलू-विकसित औद्योगीकरण और आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न्यूनतम निर्भरता, के विचार के आधार पर आंतरिक विकास रणनीति द्वारा निर्देशित किया गया था। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण (आईएसआई) ने स्वदेशी उत्पादन और उत्पादन में घरेलू उपयोग की प्राथमिकता के अनुसार आयात को कम किया। इस तरह की व्यापार नीति का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रकृति पर सीमित प्रभाव था।

20वीं सदी के अंतिम दशक में, भारत को व्यापक आर्थिक और भुगतान संकट के संतुलन का सामना करना पड़ा जिसने भारत को अपनी व्यापार नीति पर फिर से विचार करने हेतु मजबुर होना पड़ा। चालू खाता घाटा 1990 में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के रिकॉर्ड पर था, जिसमें मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक थी और विदेशी मुद्रा भंडार 2% महीनों के वित्त आयात के लिए बमुश्किल पर्याप्त था।[ii] संकट से उबरने के लिए भारत ने अपनी आंतरिक रणनीति को त्याग दिया और उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। सुधार प्रक्रिया के मूल उद्देश्यों में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ एकीकृत करना था। आयात एवं निर्यात के लिए नियंत्रणों के प्रगतिशील उदारीकरण और विवेकाधीन लाइसेंस के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू हुई।

ऐसे नीतिगत सुधारों की विशेषता वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक उदारीकरण ने भारत के निर्यात को सामाजिक और आर्थिक विकास के एक इंजन में विकसित होने और आगे बढ़ने के

लिए अनुकूल माहौल तैयार किया। व्यापार खुलेपन सूचकांक के संदर्भ में, भारत ने 1991-2000 की अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज की। 1991 में व्यापार / जीडीपी अनुपात 17 प्रतिशत से बढ़कर 2000 में 27 प्रतिशत हो गया।[iii] "भारत के कुल व्यापारिक व्यापार में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 2000-01 में 21.8 प्रतिशत से 2013-14 में 44.1 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।"[iv]

सुधारों से पहले, भारत में विदेश व्यापार नीति का कार्य 1985 में तीन साल की अवधि के साथ शुरू हुआ था। 1990 के दशक की शुरुआत में स्थिरता प्रदान करने हेतु पांच वर्ष की व्यापार नीति अपनाई गई थी और जिससे निर्यातकों तथा आयातकों के बीच अनिश्चितताओं में कमी आई थी। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ने भारत में आयात की सुविधा और भारत से निर्यात बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन हेतु आधार प्रदान किया।[v] उल्लेखनीय है कि, विदेश व्यापार नीति को 2004 तक एक्जिम नीति के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2004 में तीसरी पंचवर्षीय व्यापार नीति (2002-07) में संशोधन किए गए थे और इसे नई सरकार द्वारा 2004-09 की अवधि में नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में शामिल किया गया था।[vi] इसके बाद, क्रमशः 2009-14 और 2015-2020 की अवधि में दो पांच वर्ष की व्यापार नीतियां अपनाई गई हैं।

विदेश व्यापार नीति: रुझान, उद्देश्य और नीति परिप्रेक्ष्य

सहस्राब्दी से भारत की विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) के एक तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि इन नीतियों में प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापारिक व्यापार और रोजगार सृजन में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अपनी आर्थिक वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत एकीकरण को बनाए रखना रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारों ने वर्षों में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय (तालिका: 1) किए हैं। प्रत्येक एफ़टीपी के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के साथ अधिक एकीकृत हो गई है।

निर्यात तथा आयात नीति या एक्जिम पॉलिसी, जैसा कि 2004 तक संदर्भित किया जाता था, 1992-97 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। पहली पंचवर्षीय नीति होने के अलावा, यह पहली बार था कि विभिन्न संरक्षणवादी और नियामक नीतियों को लागू करने हेतु जागरूक प्रयास किए गए थे। इसने भारत के लिए वैश्विक रूप से उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की गति भी निर्धारित की।[vii] 1992 की एक्जिम नीति ने व्यापार पर लाइसेंस और विवेकाधीन नियंत्रण को काफी हद तक समाप्त कर दिया और निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया। इस अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने हेतु भी कदम उठाए गए, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी होल्डिंग्स की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करना और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्थापना शामिल है।[viii]

एफटीपी (1997-2002) का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच का विस्तार करके तथा तकनीकी ताकत में सुधार करके भारत को वैश्विक रूप से उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाना था। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स (ईपीसीजी), एडवांस लाइसेंस स्कीम और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयू) में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी जैसी विभिन्न नीतियों ने ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए एफटीपी (2004-09) ने 'टारगेट प्लस' जैसी कई योजनाएं शुरू कीं, जिसके तहत निर्यात में क्वांटम वृद्धि प्राप्त करने वाले निर्यातकों को सामान्य वास्तविक निर्यात लक्ष्य की तुलना में वृद्धिशील निर्यातों के आधार पर शुल्क मुक्त ऋण का अधिकार दिया गया था। एक नई योजना, जिसे मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग ज़ोन (एफटीडब्ल्यूजेड) कहा जाता है, को परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार लेनदेन करने की स्वतंत्रता के साथ माल तथा सेवाओं के आयात और निर्यात की सुविधा हेतु व्यापार से संबंधित बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए पेश किया गया था। इन क्षेत्रों के विकास और स्थापना हेतु 100 प्रतिशत एफडीआई के साथ-साथ एसईजेड में इकाइयों के लिए लागू अन्य लाभों की भी अनुमति दी गई थी। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में तेजी लाने के लिए संशोधन भी किए गए थे। इस संबंध में, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट (डीएफईसी) योजना को 'सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)' के रुप में पुनर्जीवित किया गया।[ix]

निर्यात वृद्धि को बढ़ाने के लिए, 2009-2014 की अवधि के लिए एफटीपी ने फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) और फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) जैसी नई पहल शुरू की। एफटीपी (2009-2014) ने उच्च निर्यात लागत और अन्य बाहरी कारकों के खिलाफ विदेशी निर्यात बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा में निर्यातकों का समर्थन करने हेतु एफएमएस की शुरुआत की। इस एफटीपी ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एफएमएस के तहत ओशिनिया के बड़े हिस्से के साथ-साथ मार्केट लिंक्ड फ़ोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) को कवर करते हुए नए बाजारों को जोड़ा। एफएमएस के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन को 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी और एफपीएस तथा एमएलएफपीएस के लिए 1.25 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया गया। एफटीपी निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क पर ईपीसीजी योजना के लिए प्रदान की गई है।[x]

1 अप्रैल 2015 को घोषित 2015-2020 की अवधि के लिए वर्तमान एफटीपी, विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात को समर्थन देने और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार लाने पर केंद्रित है। ऐसा करने का उद्देश्य 2019-20 तक भारत के निर्यात को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। विदेशी निवेशों को जोर देने और इसे अधिक डिजिटल अनुकूल बनाने हेतु 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए सरकार ने निर्यात और आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को तीन तक कम कर दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ तुलनीय है; सीमा शुल्क एकल खिड़की पहल के लिए प्रदान किया गया; और 24x7 सीमा शुल्क निकासी हैं।

निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्तमान एफटीपी ने दो नई योजनाएं शुरू कीं, जिनका नाम **मर्केंडाइज़ एक्सपोर्ट फ़ॉर इंडिया स्कीम (एमईआईएस)** और **सर्विस एक्सपोर्ट फ़ॉर इंडिया स्कीम (एसईआईएस)** है।

पहले की एफटीपी (फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फ़ोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना और वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना) की छह अलग-अलग योजनाओं को एक ही योजना में मिला दिया गया है, जिसका नाम **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस)** रखा गया है। यह योजना निर्दिष्ट बाजारों को निर्दिष्ट माल के निर्यात की अनुमति देती है। ऐसा करने हेतु देशों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी क में पारंपरिक बाजार शामिल हैं, श्रेणी ख में उभरते और मुख्य बाजार शामिल हैं और श्रेणी ग में प्रोत्साहन के अनुदान के लिए अन्य बाजारों को संदर्भित किया गया है। सरकार ने 29 अक्टूबर, 2015 को 110 नई वस्तुओं को जोड़कर एमईआईएस के कवरेज का विस्तार किया है। 2228 वस्तुओं की प्रोत्साहन दर / देश कवरेज को बढ़ाया गया है।

अधिसूचित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के लिए सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) को सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) से बदल दिया गया है। यह सेवा प्रदाता के संविधान या प्रोफाइल की परवाह किए बिना, भारत से सेवाएं प्रदान करने वाली अधिसूचित सेवाओं के सभी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। एफटीपी 2015-20 एमईआईएस और एसईआईएस के लाभों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के साथ-साथ एसईजेड के विकास को एक नई गति देने के लिए विस्तारित करता है। एफटीपी ईपीसीजी स्कीम के तहत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन (निर्यात की बाध्यता) को 75 प्रतिशत तक कम करते हुए स्वदेशी निर्माताओं से पूंजीगत सामान की खरीद को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' की पहल का भी समर्थन करता है। इसका उद्देश्य घरेलू पूंजीगत सामान विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और स्थानीय व वैश्विक खपत दोनों के लिए अपनी उत्पादक क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाना है।[xi]

तालिका: 1	तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश व्यापार नीति		
विदेश व्यापार नीति	**उद्देश्य**	**प्रमुख नीतियां**	**नए / संशोधित प्रावधान**
1997-2002	# विश्व स्तर पर उन्मुख जीवंत अर्थव्यवस्था बनाकर और वैश्विक बाजार के अवसरों के विस्तार से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु आर्थिक गतिविधियों के निम्न स्तर से अर्थव्यवस्था के उच्च स्तर तक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। # उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल, बिचौलियों, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों और पूंजी की अच्छी पहुंच प्रदान करके निरंतर विकास करना। # तकनीकी शक्ति में सुधार और रोजगार का सृजन करना।	# **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना:** आयातित पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क 15% से घटाकर 10% करना। शून्य ड्यूटी ईपीसीजी योजना के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए सीमा सीमा 20 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। # **उन्नत लाइसेंस योजना:** निर्यात बाध्यता की अवधि 12 से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है। अपूर्ण निर्यात के मूल्य का 1% के भुगतान पर 6 महीने का विस्तार भी प्रदान किया गया है। # **ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पास बुक (डीईपीबी) योजना:** निर्यात के एफओबी मूल्य के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में निर्यातक क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए। निर्यात प्रयोजन के लिए कच्चे माल, मध्यवर्ती, घटकों, भागों, पैकेजिंग सामग्री आदि के आयात के लिए क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। # **एफडीआई:** 100% निर्यात उन्मुख	

		इकाइयों (ईओयू) के मामले में 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी, और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) में स्थापित इकाइयाँ।	
2002-2007	**इसे एफटीपी 2004-2009 में एकीकृत किया गया था।**		
2004-2009	# 5 वर्षों के भीतर वैश्विक व्यापार का प्रतिशत दोगुना करने और रोजगार का विस्तार करने के लिए।		ईपीजेड, फ्री जोन (एफजेड), औद्योगिक संपदा (आईई), मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीजेड), मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम क्षेत्र और अन्य को कवर करने वाले **विशेष आर्थिक क्षेत्र।** **मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र** (एफटीडब्ल्यूजेड) # **सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)** जिसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में तेजी लाना है ताकि शक्तिशाली और अद्वितीय 'सर्वड फ्रॉम इंडिया' ब्रांड बनाया जा सके, जो तुरंत दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हो जाए। एसईजेड इकाइयों के समान स्वचालित मार्ग के माध्यम से

			100% एफडीआई निवेश की अनुमति है।
2009-2014	# 2014 तक 25% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। # 2014 तक भारत के निर्यात और आयात को दोगुना करना। # 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा दोगुना करना।	# ईपीसीजी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा कुछ इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, बुनियादी रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स, परिधान और वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायन और संबद्ध उत्पादों और चमड़े के उत्पादों के लिए पेश की गई है। मौजूदा तीन प्रतिशत ईपीसीजी योजना (जो कि तीन प्रतिशत आयात शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा देती है) को निर्यातकों द्वारा इसके उपयोग को आसान बनाने हेतु काफी सरल बनाया गया है।	# 27 नए देशों (लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और एशिया के कुछ हिस्सों) को **फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)** के भीतर शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इन देशों में भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का चयन करने हेतु उच्च माल ढुलाई लागत और अन्य बाहरी चीजों की भरपाई करना है। # **फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस)** के तहत प्रोत्साहनों के लिए ऑटोमोबाइल और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों सहित कई उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की अक्षमताओं तथा इन उत्पादों के विपणन में शामिल अन्य संबंधित लागतों की भरपाई

			करके उच्च निर्यात / रोजगार तीव्रता द्वारा विशेषता उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है।
2015-2020	# निर्यात में गिरावट के रुझान को रोकना। # वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। # "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप, देश में रोजगार और मूल्य-वृद्धि को उत्पन्न करना। # बाहरी पर्यावरण की चुनौतियों का जवाब देने के लिए, विशेष रूप से विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना। # व्यापार को भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाना। # विश्व के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5% करना। # लेन-देन की लागत और समय में कटौती के लिए व्यापार सुगमता	# 2019-20 तक यूएस $900 बिलियन तक निर्यात बढ़ाना। # 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार करके ऑगमेंट विनिर्माण और सेवाओं का निर्यात। # एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना के तहत, अगर स्वदेशी निर्माताओं से पूंजीगत सामान की खरीद की जाती है, तो विशिष्ट निर्यात बाध्यता को घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। यह स्वदेशी पूंजीगत सामान विनिर्माण उद्योग की मदद के लिए बनाया गया है।	**मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस)** **सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस)** **एसईजेड के लिए प्रोत्साहन (एमईआईएस और एसईआईएस) उपलब्ध होना चाहिए।**

	सरकार की प्राथमिकता है, जिससे भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं।		

स्रोत: विभिन्न दस्तावेजों से लेखिका द्वारा संकलित

भारत के विदेश व्यापार में प्रमुख रुझान (2000-16)

जटिल अंतरनिर्भरता पर आधारित विश्व के साथ, भारत की समृद्धि आंतरिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत ने पिछले दो दशकों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपने एकीकृत एकीकरण के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव की कोशिश कर रहा है। एफडीआई और एफआईआई दोनों के संदर्भ में निर्यात, आयात और विदेशी निवेश का डेटा विश्लेषण इसी प्रवृत्ति या रुझान को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, और जैसा कि बाद के खंड में विश्लेषण किया जाएगा, इसके निर्यात की विदेशी सामग्री, जो एकीकरण के संकेतकों में से एक है, 1995 से 2011 में 10 प्रतिशत से कम से 2011 में 24 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

निर्यात और आयात में रुझान

नई सहस्राब्दी के बाद से भारत के निर्यात में तेजी देखी गई है। 2000-01 में निर्यात $44,560.29 मिलियन से बढ़कर 2013-14 में $3,14,405.3 मिलियन हो गया। इसके बाद 2015-16 में निर्यात धीरे-धीरे 262,290.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसी तरह, भारत का आयात 2000-01 में $50,536.45 मिलियन से बढ़कर 2012-13 में $490,736.65 मिलियन हो गया, और 2015-16 में $381,006.63 मिलियन घटकर आयात में गिरावट (आकृति 1) देखी गई।

Figure 1: India's Total Imports and Exports (2000-17)

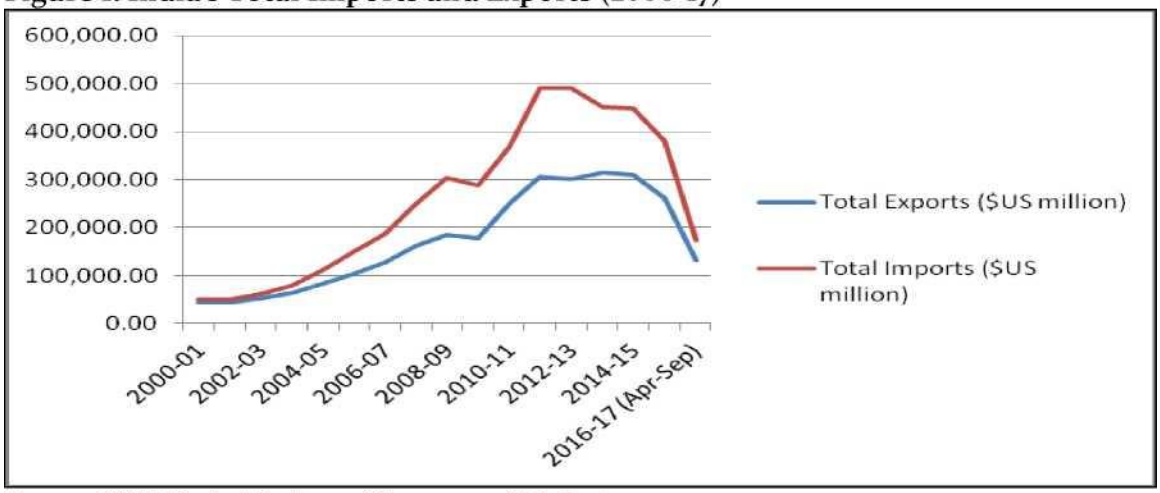

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

निर्यात की संरचना और दिशा

निर्यात की वस्तुओं की संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में भारत के निर्यात बास्केट में खनिज ईंधन, तेल और मोम की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही है। 2000-01 से खनिज ईंधन का प्रतिशत हिस्सा धीरे-धीरे 4.33 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 11.9 प्रतिशत हो गया है। रुझानों से यह भी पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में फार्मास्यूटिकल्स और अनाज की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। 2000-01 में फार्मास्यूटिकल्स की हिस्सेदारी 2.12 प्रतिशत थी और 2015-16 में इसकी हिस्सेदारी 4.92 प्रतिशत थी। इसी तरह, 2000-01 में अनाज का प्रतिशत हिस्सा 1.66 प्रतिशत था, जो 2015-16 में बढ़कर 2.39 प्रतिशत (आकृति 2 और 3) हो गया।

Figure 2

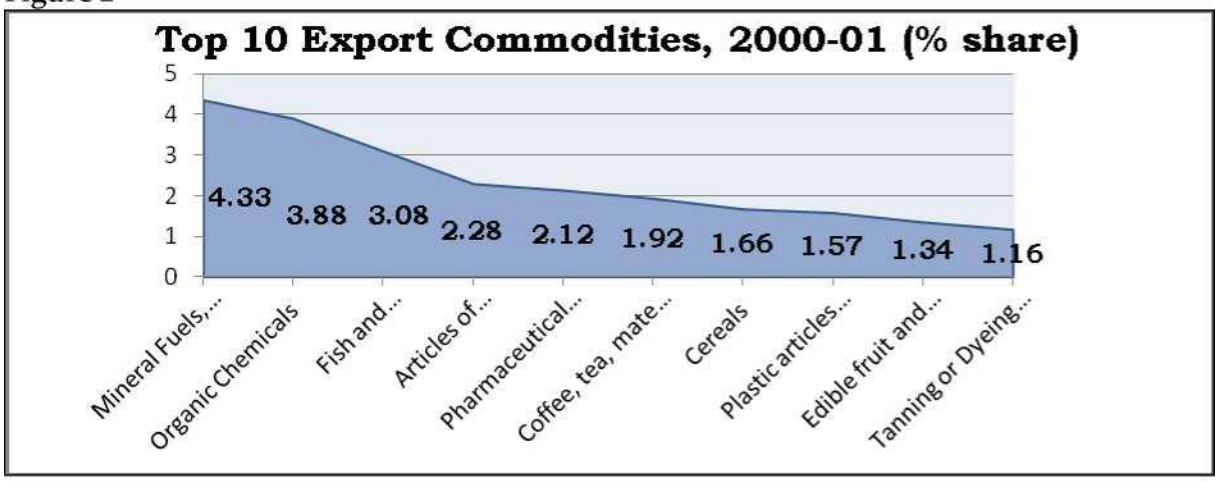

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

Figure 3

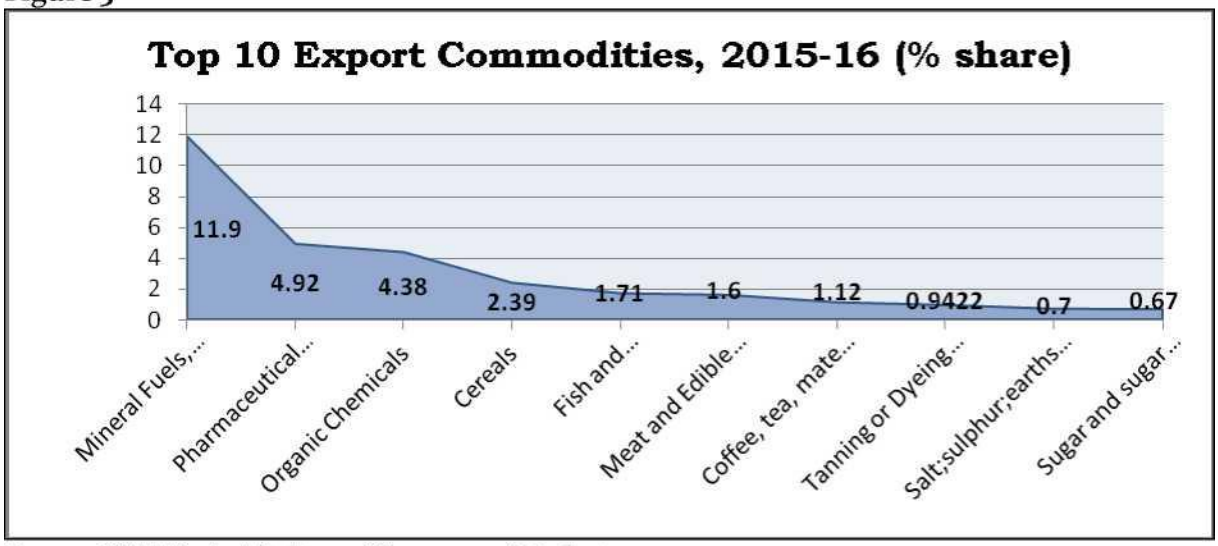

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

भारत के व्यापार का दिशात्मक स्वरुप 2000 से पश्चिम से पूर्व की ओर बदल गया है। 2000-01 में, शीर्ष दस निर्यात देशों (आकृति 4) में छह पश्चिमी देश (अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और फ्रांस) और दो एशियाई देश (जापान और बांग्लादेश) थे। 2015-16 में, भारत के शीर्ष दस निर्यात देशों में से पांच एशियाई देश (चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम) और दो पश्चिमी देश (अमेरिका और जर्मनी) के साथ रुझान परिवर्तित (आकृति 5) हो गया है।

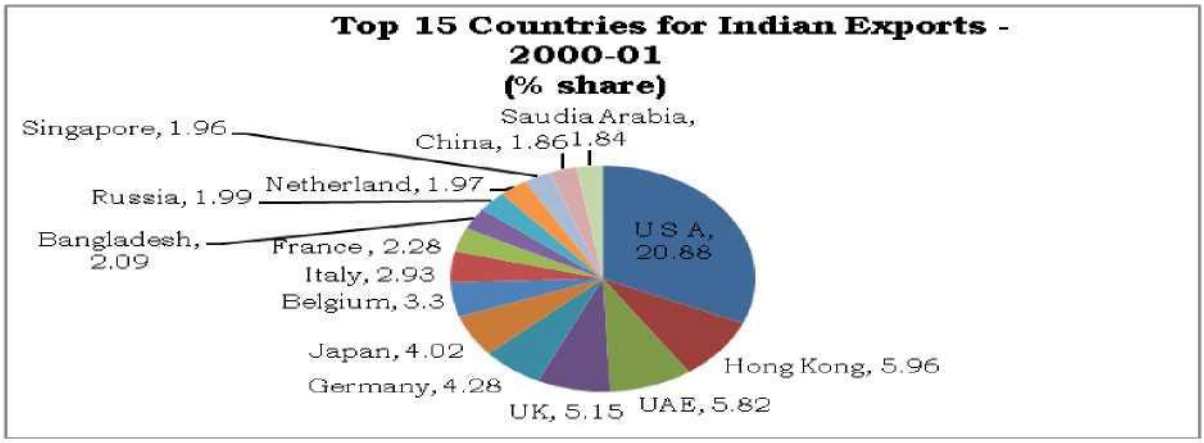

स्रोत: एक्जिम बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आकृति 5

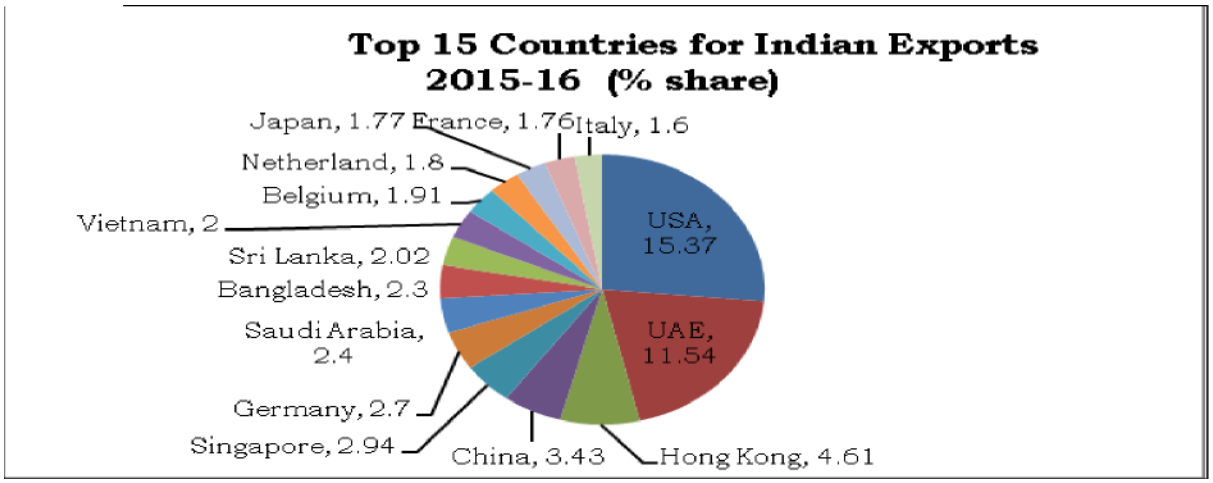

स्रोत: एक्जिम बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आयात की संरचना और दिशा

आयात बॉस्केट के संदर्भ में, आयात की वस्तुओं में पिछले 15 वर्षों में मामूली बदलाव देखा गया है। खनिज ईंधन, तेल और मोम, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर तथा प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती जैसी वस्तुओं, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों में क्रमशः 2000-01 और 2015-16 के लिए प्रमुख वस्तुएं हैं। 2000-01 और 2015-16 के बीच की अवधि के दौरान, विद्युत मशीनरी और प्लास्टिक जैसी कुछ वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, जबकि उर्वरकों जैसी वस्तुओं ने शीर्ष 10 वस्तुओं (आकृति 6 और 7) में अपना स्थान पा लिया है।

Figure 6

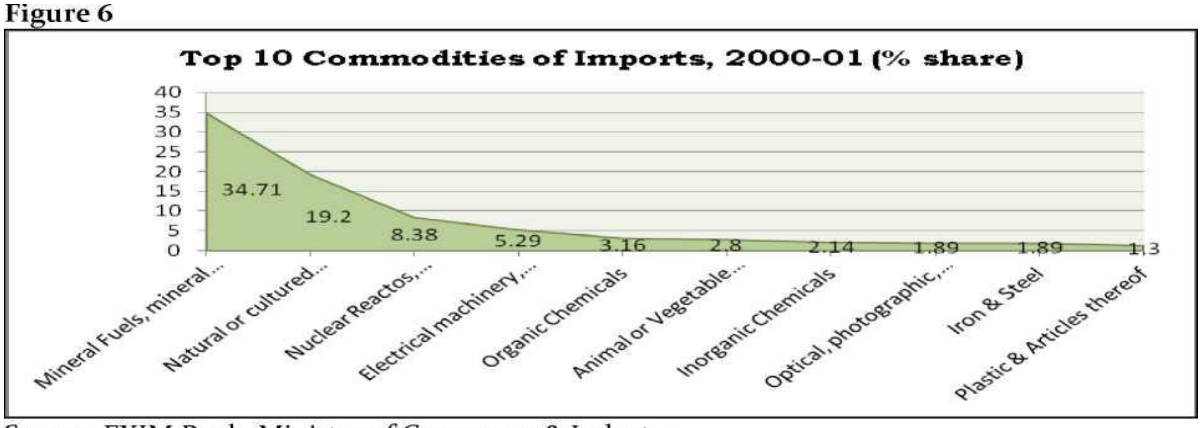

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

Figure 7

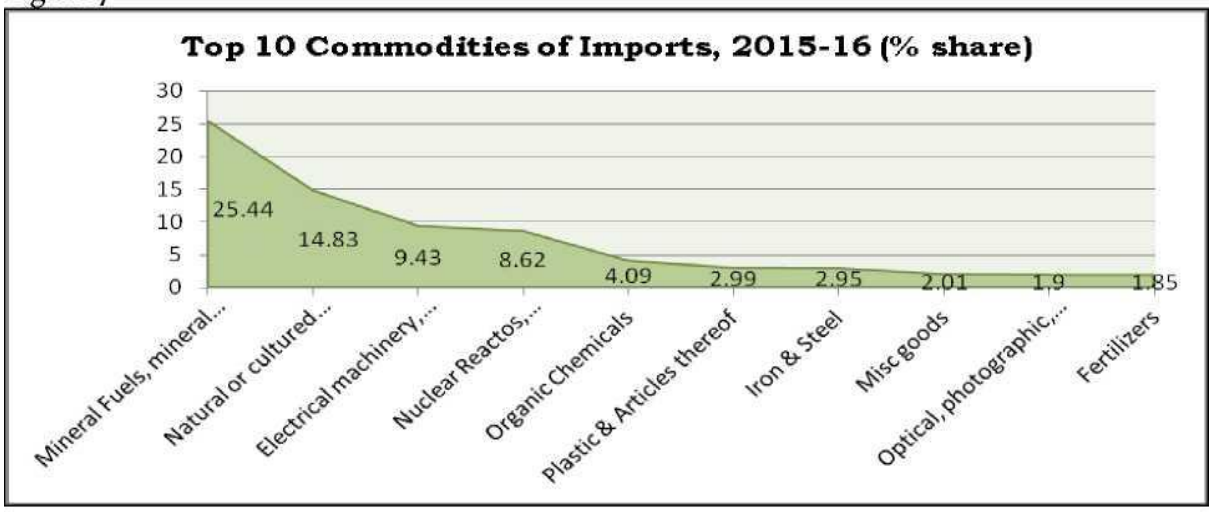

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

निर्यात की तरह, आयात की दिशा में रुझानों में परिवर्तन ध्यान देने योग्य हैं। चीन की ओर एक दृश्यमान बदलाव है, जो अमेरिका और यूएई के बाद भारत (16.19 प्रतिशत) के आयात के प्रमुख देश (आकृति 8) का गठन करता है।

आकृति 8

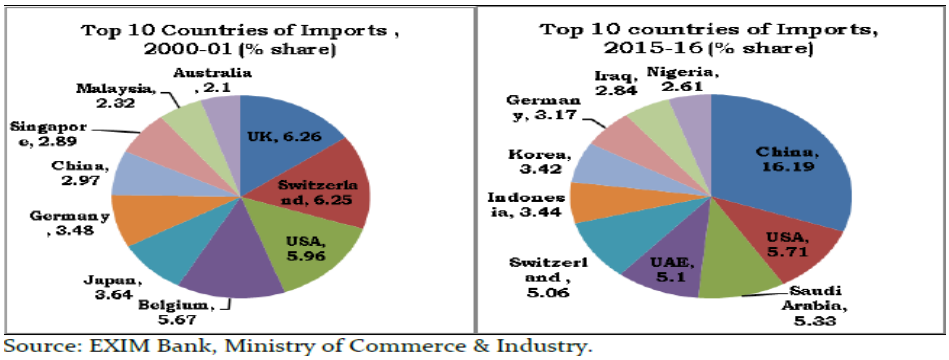

Source: EXIM Bank, Ministry of Commerce & Industry.

निर्यात में विदेशी और घरेलू मूल्य वर्धन

उपलब्ध ओईसीडी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत के निर्यात की विदेशी सामग्री में काफी वृद्धि हुई है। यह 1995 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 24.0 प्रतिशत हो गया, जो ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका) अर्थव्यवस्थाओं के बीच चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दर है। 2011 में घरेलू मूल्यवर्धन के सबसे बड़े स्रोत में निर्यात के कुल मूल्य के 12.6 प्रतिशत के हिसाब से थोक, खुदरा और होटल उद्योग शामिल थे, जिसके बाद व्यावसायिक सेवाओं (11.7%), परिवहन एवं दूरसंचार (10.5%), और कोक व पेट्रोलियम (4.8%) था। 2011 में कोक और पेट्रोलियम (56.6%) और अन्य विनिर्माण उद्योगों (42.4%) में सबसे बड़ा विदेशी योगदान था, जिसने कुल मिलाकर भारत के कुल निर्यात में 9.1 प्रतिशत का योगदान था।

आकृति 9: देश द्वारा सकल निर्यात की विदेशी मूल्यवर्धित सामग्री

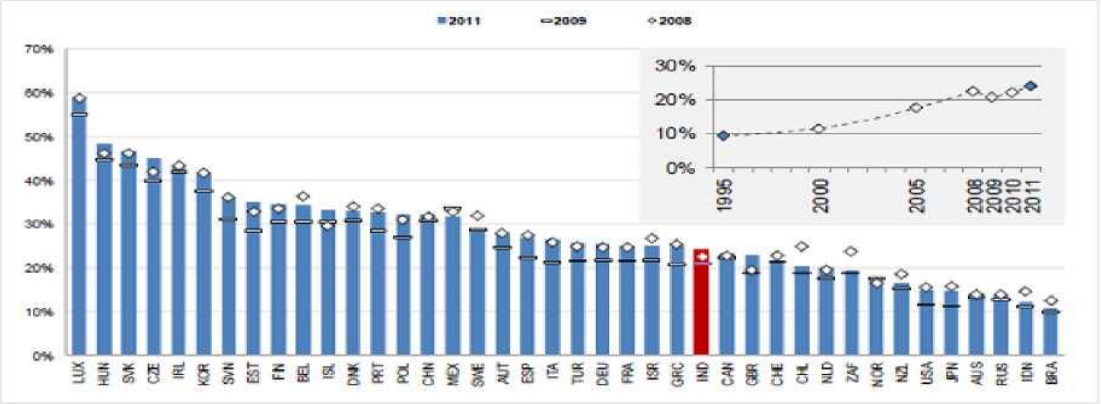

स्रोत: ओईसीडी-डब्ल्यूटीओ, 2015

कुल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारत का 18.6 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन 2011 में विदेशी मांग से प्रेरित था। हालांकि, उद्योगों में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। उच्चतम मांग वाले क्षेत्र अन्य विनिर्माण (63.0%) और खनन (39.9%) थे और सबसे कम शेयर गैर-धातु खनिजों (8.3%) और कृषि (8.8%) में थे। निर्यात की विदेशी मांग में सन्निहित घरेलू मूल्यवर्धन के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर प्राथमिकता रखता है, विशेष रूप से चीनी निर्यात में सन्निहित मूल्यवर्धन को दर्शाता है।

आकृति 10: मुख्य भागीदार देशों को भारत का निर्यात (कुल सकल और मूल्य वर्धित निर्यात, 2011)

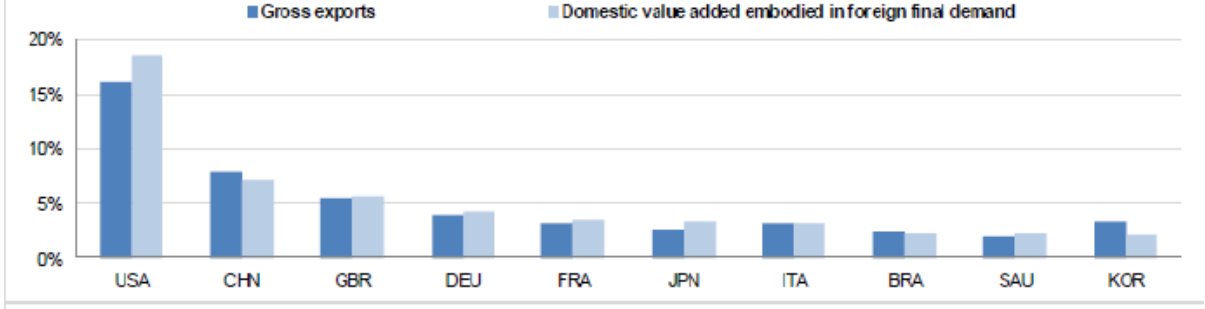

Source: OECD-WTO, 2015.

घरेलू मूल्य वर्धित आयात के मामले में, चीन अमेरिका पर प्राथमिकता रखता है, क्योंकि घरेलू निर्यात में अमेरिकी निर्यात की मात्रा अधिक होती है। [xiv]

आकृति 11: मुख्य भागीदार देशों से भारत का आयात (कुल सकल और मूल्य वर्धित निर्यात, 2011)

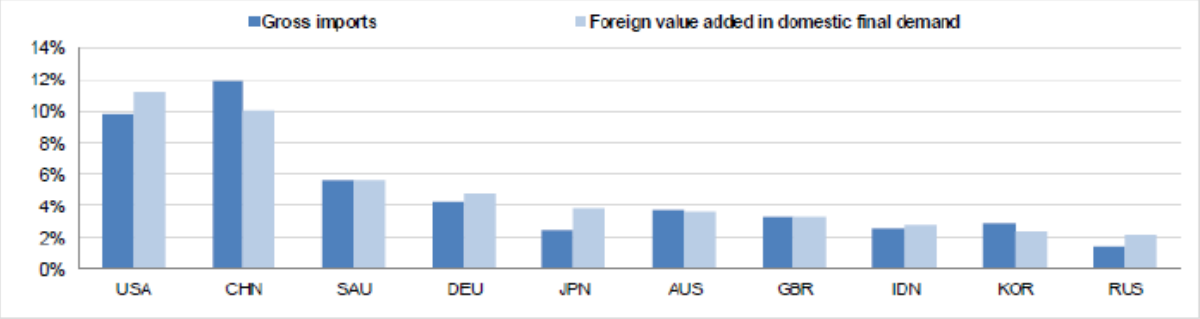

Source: OECD-WTO, 2015.

<u>विदेशी निवेश का बढ़ता रुझान</u>

इस खंड में, 2000-01 से 2015-16 की अवधि के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) दोनों के संदर्भ में विदेशी निवेश का विश्लेषण रुझानों में बदलाव को समझने हेतु किया गया है। तालिका 2 कुल विदेशी निवेश प्रवाह को इंगित करती है, जो शुद्ध एफडीआई और शुद्ध एफपीआई अंतर्वाह का योग है। जैसा कि उल्लेख किया जा सकता है, इक्कीसवीं सदी की पहले छमाही में यानी 2007-08 तक, विदेशी निवेश प्रवाह में तेजी आई और इसके बाद 2008-09 में गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2008-09 के दौरान शुद्ध एफपीआई प्रवाह ऋणात्मक था, जो भारत से शुद्ध आधार पर एफपीआई के बहिर्वाह को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, वैश्विक वित्तीय संकट 2008-09 के दौरान भड़क गया और विदेशी निवेशकों ने विभिन्न शेयर बाजारों से अपना निवेश वापस ले लिया।

तालिका 2: विदेशी निवेश मुद्रास्फीति (एफआईआई)		**मिलियन**	
वर्ष	**कुल एफडीआई**	**कुल एफपीआई**	**कुल एफआईआई**
2000-01	3272	2590	5862
2001-02	4734	1952	6686
2002-03	3217	944	4161
2003-04	2388	11356	13744
2004-05	3713	9287	13000
2005-06	3°34	12494	15528
2006-07	7693	7060	14753
2007-08	15893	27433	43326
2008-09	**22372**	**-14030**	**8342**
2009-10	17966	32396	50362

2010-11	11834	30293	42127
2011-12	22061	17170	39231
2012-13	19819	26891	46711
2013-14	21564	4822	26386
2014-15	31251	42205	73456
2015-16 (P)	36021	-4130	31891

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, 2015-16, आरबीआई

क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

हाल के दिनों में भारत को एक तीव्र आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने हेतु एफडीआई नीति की प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एफडीआई के उच्च स्तर को आकर्षित करने हेतु सरकार ने एक उदार एफडीआई नीति रखी है जिसके तहत 100% तक की एफडीआई की अनुमति है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमति दी जाती है।[1] तालिका 3 सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण हेतु हाल ही में की गई कुछ पहलों को रेखांकित करती है। डेटा विश्लेषण (तालिका 4) से पता चलता है कि एफडीआई पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, जो यह दर्शाता है कि ऐसी नीतियां प्रभावी हैं।

तालिका 3: हाल की एफडीआई की पहल
बीमा और पेंशन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 49% एफडीआई
स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में 49% तक का विदेशी निवेश। 49% की पहुंच में विदेशी निवेश को देश में आधुनिक तकनीक तक पहुंच या अन्य कारणों से दर्ज किए जाने वाले मामलों में सरकार की मंजूरी के साथ मामले के आधार पर अनुमति दी गई है।
रक्षा क्षेत्र के लिए 100% (स्वचालित मार्ग के तहत 49%, 49% सरकारी मार्ग के अलावा) की एफडीआई सीमा, शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत कवर किए गए छोटे हथियारों और गोला-बारूद के विनिर्माण पर लागू होती है।
टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी, हेडेंड-इन-एस ब्रॉडकास्टिन सर्विस में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की एफडीआई
नॉन-'न्यूज एंड करंट अफेयर्स 'टीवी चैनल्स के डाउन-लिंकिंग, टीवी चैनल्स के डाउन-लिंकिंग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई
'अत्याधुनिक' और 'अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी' उत्पादों के एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के मामले में, सोर्सिंग मानदंड में तीन साल तक की छूट दी जा सकती है और सरकार के अनुमोदन के अधीन सोर्सिंग मानदंड को 5 साल के लिए शिथिल किया जा सकता है।
गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा की गतिविधियों की विदेशी इक्विटी कैप, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज स्वचालित मार्ग के तहत 74% से बढ़कर 100% हो गई है।
ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई
अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा / घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन और क्षेत्रीय वायु परिवहन सेवा के लिए एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई गई, एफडीआई के साथ 49% तक स्वत: मार्ग और एफडीआई के तहत 49% से अधिक की अनुमति दी गई।
विदेशी एयरलाइनों को अपनी भुगतान की गई पूँजी की 49% की सीमा तक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

ई-कॉमर्स क्षेत्र को स्पष्टता प्रदान करने हेतु सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ई-कॉमर्स के बाज़ार मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
खुदरा व्यापार के लिए सरकारी मार्ग के तहत 100% एफडीआई, जिसमें ई-कॉमर्स के माध्यम से, भारत में निर्मित और / या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में अनुमति दी गई है।
स्वचालित मार्ग के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों में 100% एफडीआई की अनुमति।
ब्राउन-फील्ड फार्मास्यूटिकल्स में स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई। सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति होगी।
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एफडीआई सीमा 74% (स्वचालित मार्ग के तहत 49%, सरकारी मार्ग के तहत 49% से अधिक और 74% तक) तक बढ़ाई गई है।
भारत में शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना के लिए यदि आवेदक का मुख्य व्यवसाय रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा या सूचना और प्रसारण है, तो ऐसे मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जहां संबंधित मंत्रालय/नियामक द्वारा एफआईपीबी अनुमोदन या लाइसेंस/अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
पशुपालन (कुत्तों की ब्रीडिंग सहित), मछलीपालन, एक्वाकल्चर और एपिकल्चर में एफडीआई के लिए 'नियंत्रित स्थितियों' की आवश्यकता में छूट दी गई है।

स्रोत: http://www.makeinindia.com/policy/foreign-direct-investment

अप्रैल, 2000 से भारत में कुल एफडीआई, इक्विटी इनफ्लो, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी सहित यूएस $453,183 मिलियन (अप्रैल 2000- सितंबर 2016) है। जैसा कि तालिका 4 में देखा जा सकता है कि, 2006-09 की अवधि में एफडीआई का सबसे बड़ा प्रवाह देखा गया और वर्ष 2006-7 में पिछले वर्ष की तुलना में 155% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद, एफडीआई प्रवाह में लगभग 2012-13 तक मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया और 2013-14 की अवधि के दौरान फिर से ऊपर की ओर रुझान देखा गया। अप्रैल 2016-सितंबर 2016 की अवधि के दौरान, 21,624 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त $16,631 मिलियन के एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 30% की वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 4: भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (2000-16) **यूएस $ मिलियन**

वित्तीय वर्ष	इक्विटी फ्लो (एफआईपीबी मार्ग /आरबीआई स्वचालित मार्ग / अधिग्रहण	इक्विटी फ्लो (अनिगमित निकायों की पूंजी)	अर्जित आय	अन्य पूंजी	कुल एफडीआई	पिछले वर्ष की तुलना में% वृद्धि
2000-01	2,339	61	1,35°	279	4,029	-
2001-02	3.9°4	191	1,645	39°	6,130	(+) 52 %
2002-03	2,574	190	1,833	438	5,035	(-) 18 %
2003-04	2,197	32	1,460	633	4,322	(-) 14 %
2004-05	3,250	528	1,904	369	6,051	(+) 40 %
2005-06	5.540	435	2,760	226	8,961	(+) 48 %
2006-07	15.585	896	5,828	517	22,826	(+) 155 %

2007-08	24,573	2,291	7,676	300	34,843	(+) 53 %
2008-09	31,364	702	9,030	777	41,873	(+) 20 %
2009-10	25,606	1,504	8,668	1,931	37,745	(-) 10 %
2010-11	21,376	874	11,939	658	34,847	(-) 08 %
2011-12	34,833	1,022	8,206	2,495	46,556	(+) 34 %
2012-13	21,825	1,059	9,880	1,534	34,298	(-) 26 %
2013-14 (p)	24,299	975	8,978	1,794	36,046	(+) 5 %
2014-15 (p)	30,933	978	9,988	3,249	45,148	(+) 25 %
2015-16 (p)	40,001	1,042	10,049	4,365	55,457	(+) 23 %
2016-17 (अप्रैल-सितंबर)	21,624	516	5,531	1,345	29,016	-
संचयी योग	**311,823**	13,332	**106,728**	**21,300**	453,183	-

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

जहां तक निवेश की दिशा की बात है, तो सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 2000-2016 की अवधि में मॉरीशस के बाद सिंगापुर, ब्रिटेन और जापान से हुआ है।[xvi]

आकृति 12: देश-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (अप्रैल 2000-सितंबर 2016) (यूएस $ मिलियन)

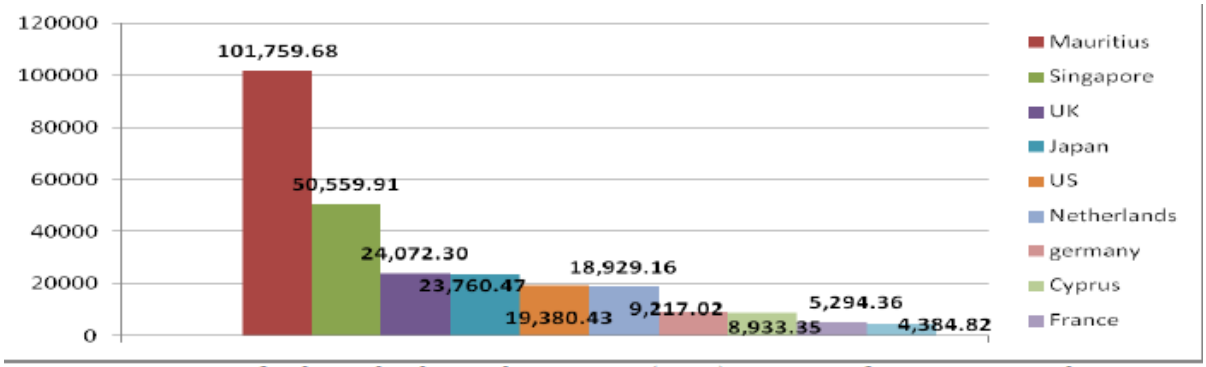

Source: Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry.

जहां तक एफडीआई की क्षेत्रवार संरचना का सवाल है, सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो को आकर्षित करने वाले सेक्टर 2000-2016 की अवधि में सेवा क्षेत्र (वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कूरियर, टेक टेस्टिंग एंड एनालिसिस) हैं। इसके बाद निर्माण विकास (टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट-अप इन्फ्रास्ट्रक्चर; कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर; दूरसंचार (रेडियो पेजिंग,

सेलुलर मोबाइल, बुनियादी टेलीफोन सेवाएं); ऑटोमोबाइल उद्योग; दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स; व्यापार; रसायन (उर्वरकों के अलावा); शक्ति और; होटल तथा पर्यटन हैं।

आकृति 13

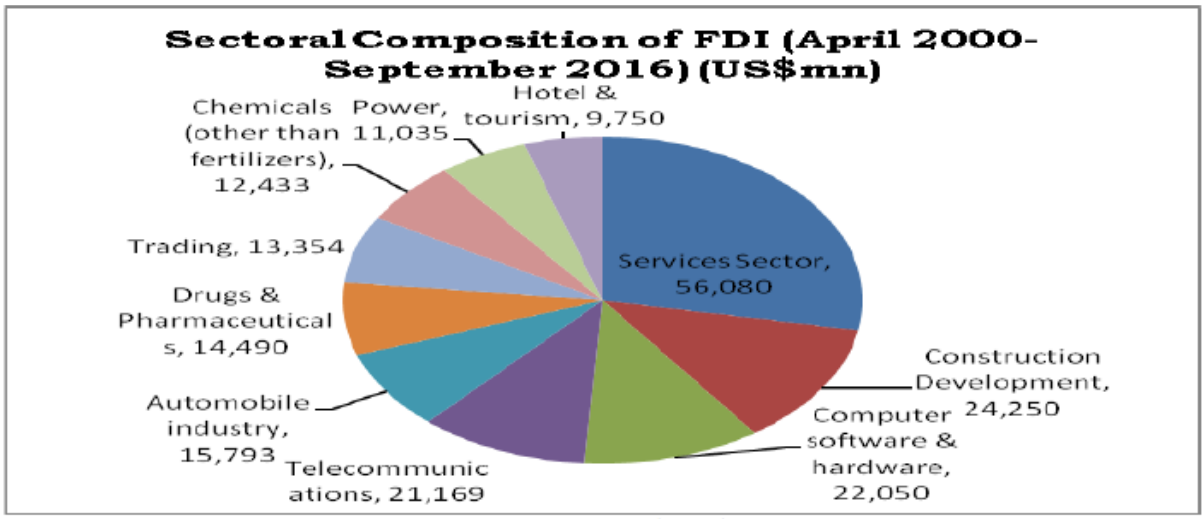

Source: Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry.

ख) बाहरी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)

भारत से बाहरी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) में भी न केवल परिमाण के मामले में बल्कि भौगोलिक प्रसार और क्षेत्रीय संरचना के संदर्भ में भी काफी बदलाव देखा गया है। ओडीआई क्रमशः 2000-01 में 759 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2008-09 में क्रमशः 19,365 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि, इसके बाद धीरे-धीरे इसमें गिरावट आई और 2014-15 में यह 4031 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। दिशात्मक संदर्भ में, 2000 के दशक के प्रारंभ में रूस, अमेरिका और यूके जैसे बड़े पैमाने पर पारंपरिक देशों से 2000 के दशक के मध्य में संसाधन संपन्न देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, सूडान और यूएई में बदलाव दिखाई देता है। हालांकि, 2011-12 तक भारत का ओडीआई बड़े पैमाने पर मॉरीशस, सिंगापुर, ब्रिटिश वर्जिन और नीदरलैंड जैसे कर लाभ प्रदान करने वाले देशों में निर्देशित किया गया था।

आकृति 14

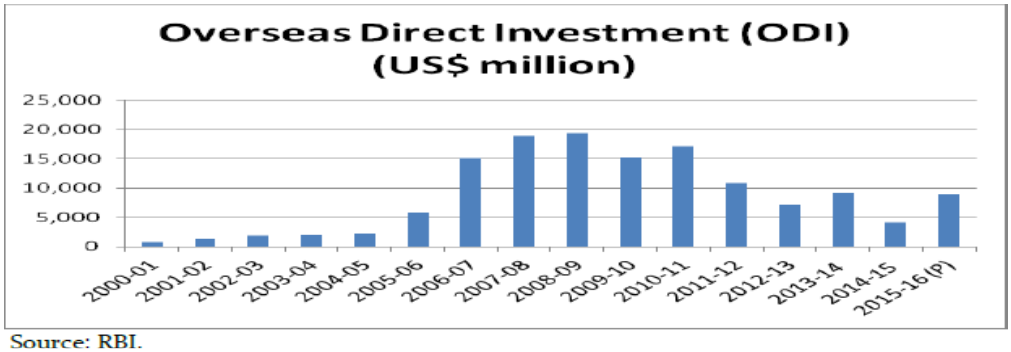

Source: RBI.

क्षेत्रवार संरचना के लिहाज से भारतीय विदेशी निवेश मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर हावी रहा है, इसके बाद सर्विसेज, होलसेल, रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। हालांकि, वर्ष 2003-04 में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 59.8 प्रतिशत से घटकर 40.4 प्रतिशत और 2011-12 में 31.5 प्रतिशत हो गई है।

आकृति 15

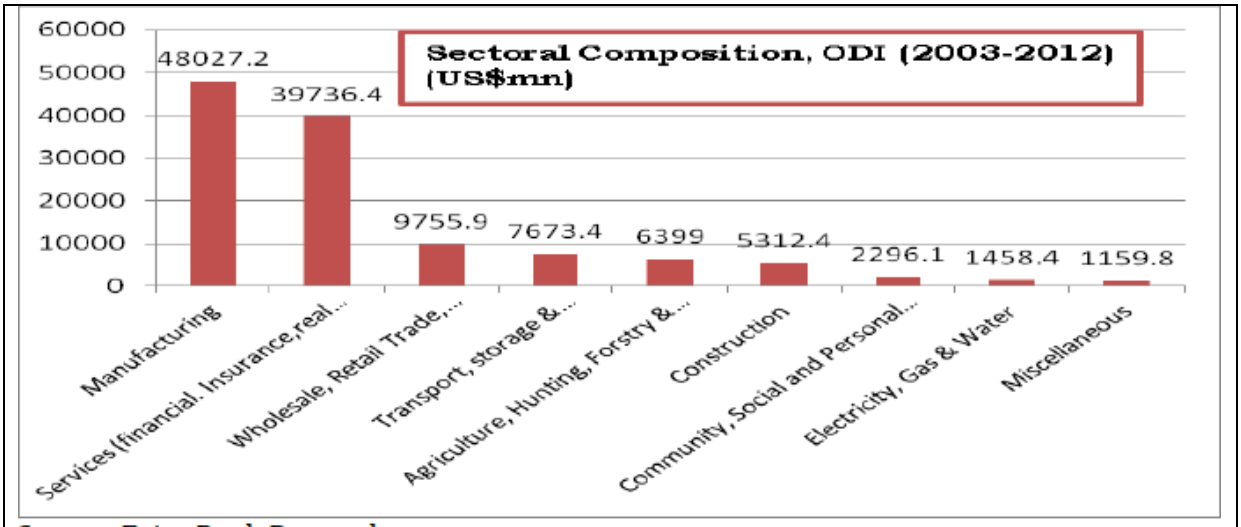

Source: Exim Bank Research.

ग) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में भी 2000-01 में $2590 मिलियन से लेकर 2014-15 में क्रमशः $42,205 मिलियन तक की बढ़त देखी गई है। एफपीआई वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव के कारण वर्ष 2008-09 में ऋणात्मक था, जो $(-) 14030 मिलियन था।

आकृति: 16

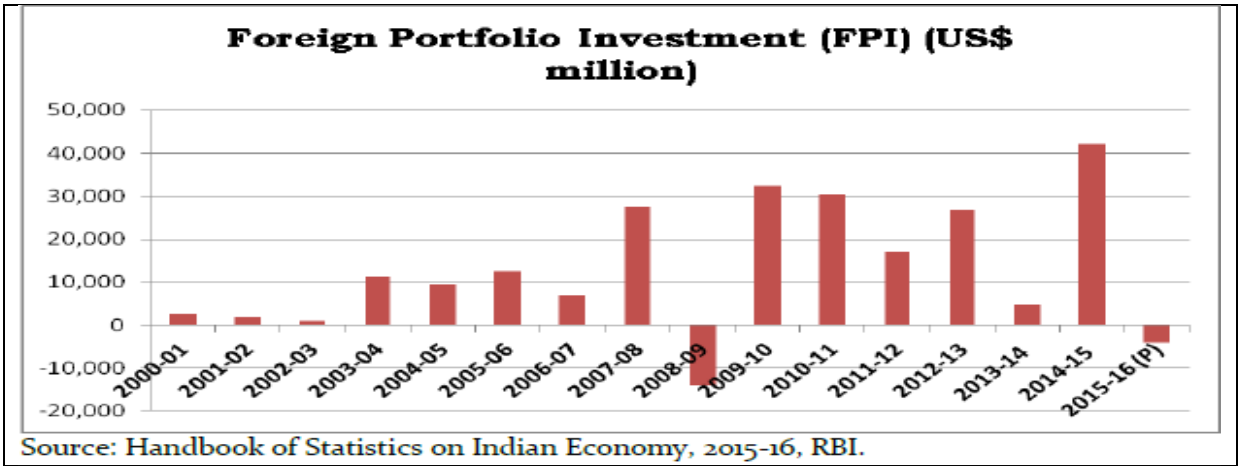

Source: Handbook of Statistics on Indian Economy, 2015-16, RBI.

व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने हेतु हाल की सरकारी पहल

भारत सरकार ने व्यापार तथा निवेश की सुविधा हेतु विभिन्न नीतिगत पहल की है। इसके अलावा, सरकार द्वारा घोषित विभिन्न पहलों जैसे एफडीआई नीति में बदलाव, एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग पर बड़ी संख्या में क्षेत्रों को अनुमति देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, और ढांचागत विकास के साथ-साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) विधेयक का पारित होना तथा भूमि अधिग्रहण बिल ने भारत की विदेश व्यापार नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की है। निवेश आकर्षित करने हेतु अवसंरचनात्मक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसमें सड़क, रेल और बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी शामिल हैं। देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित रहा है। अक्टूबर 2016 में, भारत सरकार ने तीन वर्षों की अवधि में बुनियादी ढांचे में 25 ट्रिलियन ($376.53 बिलियन) के निवेश का लक्ष्य घोषित किया, जिसमें 27 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने हेतु 8 ट्रिलियन ($120.49 बिलियन) और अतिरिक्त 5 ट्रिलियन (यूएस $ 75.30 बिलियन) सड़क, रेलवे और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए निर्धारित है। 2017-18 में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कुल बजट आवंटन रु. 3, 96,135 करोड़ है, जिसमें परिवहन क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कुल रेल, सड़क, नौवहन के लिए 2017- 18 में 2,41, 387 करोड़ रु. शामिल है। आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने हेतु प्रमुख नीति पहल पर निम्नलिखित विस्तृत खंड दिया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र: भारतीय निर्यात और एफडीआई को बढ़ावा

भारत में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। एसईजेड इन इंडिया कार्य विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत कार्यरत है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 10 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ। एसईजेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

(क) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
(ख) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
(ग) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना;
(घ) रोजगार के अवसरों का सृजन;
(ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास;

इन उद्देश्यों को पूरा करने में एसईजेड की सफलता का विश्लेषण इस खंड में किया गया है ताकि भारत में उनकी प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। आंकड़ों के रुझान विश्लेषण से पता चलता है कि एसईजेड ने भारत में निर्यात, निवेश और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसईजेड और निर्यात

यह देखा गया है कि वर्ष 2003-04 में कुल एसईजेड का निर्यात 13854 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 494077 करोड़ रुपये हो गया है। वास्तव में, 2009-10 में एसईजेड के निर्यात में घातीय वृद्धि 121 प्रतिशत (आकृति 17) देखी गई। जैसा कि उल्लेख किया जा सकता है, भारत के कुल निर्यात में एसईजेड से निर्यात का योगदान 2003-04 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 29.12 प्रतिशत (आकृति 18) हो गया। डेटा बताता है कि एसईजेड ने भारत में निर्यात के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आकृति 17

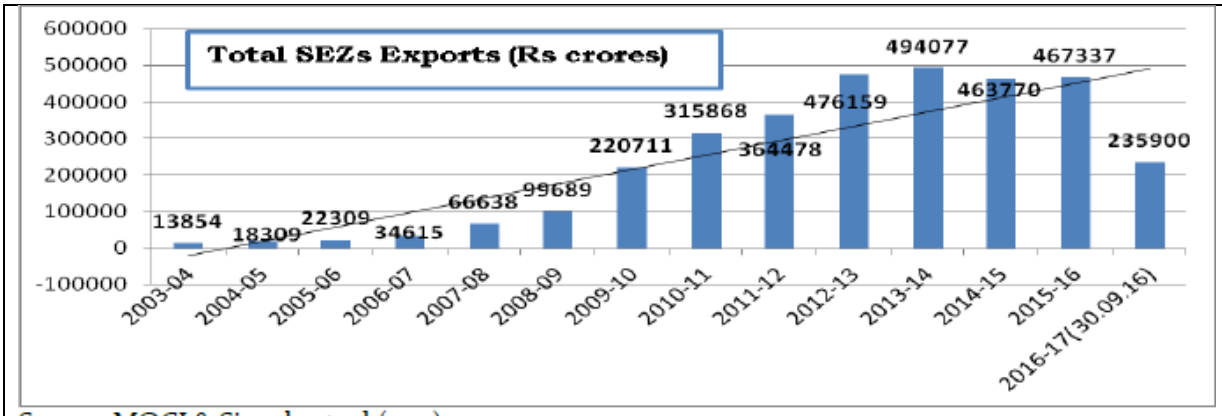

Source: MOCI & Singala et. al (2011).

आकृति 18

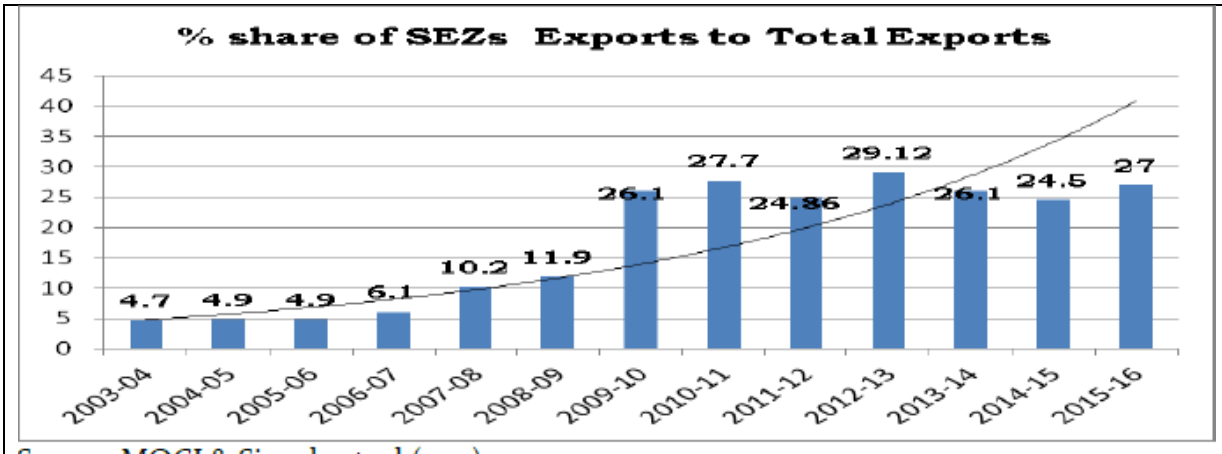

Source: MOCI & Singala et. al (2011).

एसईजेड और निवेश

एसईजेड को सभी क्षेत्रों में घरेलू, विदेशी और एनआरआई निवेशकों से स्वचालित मार्ग के माध्यम से भारत में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। तालिका 5 दर्शाती है कि एसईजेड का कुल निवेश दिसंबर 2016 तक 4, 08,939.32 करोड़ रुपये है, जो फरवरी 2006 में 4035.51 करोड़ रुपये था। आंकड़ों से पता चलता है कि एसईजेड भारत में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने (तालिका 5) में प्रभावी रहा है।[xxv]

तालिका 5: एसईजेड और निवेश

निवेश क्षेत्र	निवेश (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश (31.12.2016 तक)
केंद्रीय सरकार एसईजेड	2,279.20 करोड रु.	13,892.13 करोड रु.	16,171.33 करोड रु.
2006 से पहले राज्य / प्रा. द्वारा स्थापित किए गए एसईजेड	1,756.31 करोड रु.	9,988.34 करोड रु.	11,744.65 करोड रु.
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	3,81,023.34 करोड रु.	3,81,023.34 करोड रु.
कुल	4,035.51 करोड रु.	4,04,903.81 करोड रु.	4,08,939.32 करोड रु.

स्रोत: भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, "विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक http://sezindia.gov.in/writereaddata/pdf/factsheet.pdf *(मार्च 2017 को एक्सेस किया गया)*

एसईजेड और रोजगार सृजन

जहां तक रोजगार सृजन का संबंध है, एसईजेड में 17,11,657 व्यक्तियों के कुल रोजगार में से, 15,76,953 व्यक्तियों का एक वृद्धिशील रोजगार फरवरी 2006 के बाद सृजित हुआ था जब एसईजेड अधिनियम लागू हुआ था।[xxvi] तालिका 6 इंगित करती है कि एसईजेड ने भारत में रोजगार सृजन को बढ़ाया है।

तालिका 6: एसईजेड और रोजगार

रोज़गार	रोजगार (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील रोजगार	कुल रोजगार (31.12.2016 तक)
केंद्रीय सरकार एसईजेड	1,22,236 व्यक्तियों	1,19,407 व्यक्तियों	2,41,643 persons

2006 से पहले राज्य / प्रा. द्वारा स्थापित किए गए एसईजेड	12,468 व्यक्तियों	76,094 persons	88,562 व्यक्तियों
अधिनियम के तहत अधिसूचित		13,81,452 व्यक्तियों	13,81,452 व्यक्तियों
कुल	1,34,704 व्यक्तियों	15,76,953 व्यक्तियों	17,11,657 व्यक्तियों

स्रोत: भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, "विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक।
http://sezindia.gov.in/writereaddata/pdf/factsheet.pdf (मार्च 2017 को एक्सेस किया गया)

औद्योगिक गलियारे

भारत सरकार ने समावेशी विकास के लिए भारत में फैली पांच औद्योगिक गलियारे परियोजनाओं की पहचान की है, ताकि औद्योगिकीकरण और नियोजित शहरीकरण को गति प्रदान की जा सके। विनिर्माण को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण का हिस्सा मौजूदा स्तर से 2025 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के लिए प्रत्येक गलियारे में प्रमुख चालक बनाया गया है। केंद्रीय बजट, 2017-18 के तहत 2017-18 के लिए औद्योगिक गलियारे के लिए बजट आवंटन 1044 करोड़ रुपये है।[xxviii]

तालिका 7 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ पांच औद्योगिक गलियारों का अवलोकन प्रदान करती है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएसआईसी) के विकास के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईसीजीसी) को भारत सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इसमें 49 प्रतिशत इक्विटी शामिल है, जबकि 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जीबीआईसी) के पास है और शेष हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जैसे वित्तीय संस्थानों के पास (आकृति 19) हैं। जापान सरकार ने परियोजनाओं के पहले चरण में डीएमआईसी परियोजना के लिए 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की।[xxix] डीएमआईसी के तहत चार चिन्हित स्थानों पर ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें शामिल हैं (i) गुजरात में अहमदाबाद-धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (ii) महाराष्ट्र में शेंदरा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (iii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना और (iv) मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना।[xxx]

डीएमआईसी ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित और विभिन्न चरणों के अंतर्गत आने वाली अन्य परियोजनाओं में द्वारका में प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी); हवाई अड्डा परियोजनाएं; नीमराना, राजस्थान में मॉडल सौर परियोजना; डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज प्रोजेक्ट; मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट्स; ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट; हरियाणा में एकीकृत मल्टी मॉडल

लॉजिस्टिक्स हब; और दादरी उत्तर प्रदेश में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब शामिल हैं।[xxxi]

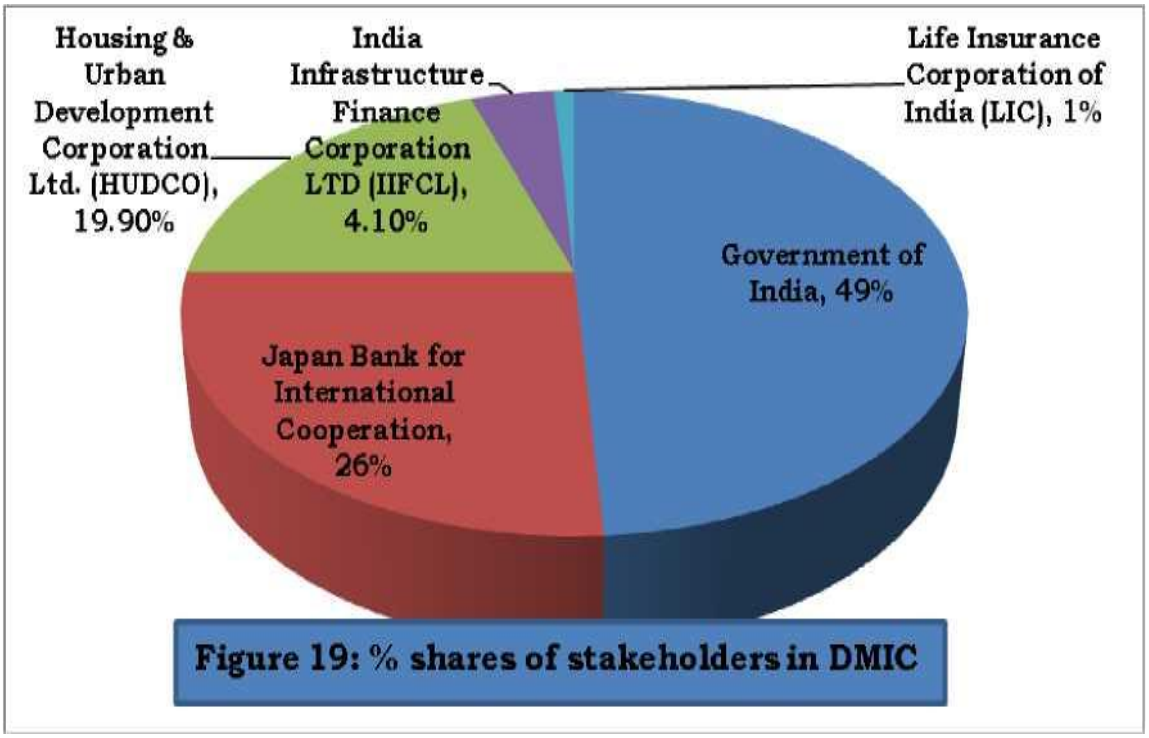

Figure 19: % shares of stakeholders in DMIC

स्रोत: http://www.dmicdc.com/about-dmicdc.aspx?mpgid=2&pgidtrail=8

बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (बीएमआईसी) के लिए, जिसे पहले बेंगलुरु-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर (बीएसईसी) के रूप में जाना जाता है, डीएमआईसीडीसी नोडल एजेंसियां है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों को कवर करती है। कर्नाटक में धारवाड़ को बीएमआईसी के तहत पहले औद्योगिक नोड के रूप में चिन्हित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमआईसी के तहत नोड के रूप में सांगली या सोलापुर के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है।[xxxii] एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की पहचान विजाग-चेन्नई कॉरिडोर (वीसीआईसी) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। प्रारंभ में, एडीबी द्वारा चार नोड्स - विशाखापट्टनम, काकीनाडा, गन्नवरम-कांकीपाडू और श्रीकालहस्ती-येरपडु की पहचान की गई थी। हालांकि, काकीनाडा और गन्नवरम-कांकीपाडु नाम के दो नोड्स को मछलीपट्टनम और डोनाकोंडा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।[xxxiii] सितंबर 2016 में, एडीबी ने योजनाबद्ध 2,500 किलोमीटर लंबे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के 800 किलोमीटर के पहले खंड को विकसित करने के लिए ऋण और अनुदान में $631 मिलियन की मंजूरी दी।[xxxiv] चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) का जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से विकसित किया जा रहा है। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और निप्पॉन कोएई कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद से जेआईसीए द्वारा एकीकृत मास्टर प्लान को पूरा किया गया है।[xxxv] अगले 20 वर्षों में सीबीआईसी में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $174 बिलियन की राशि का अनुमान लगाया है।

तालिका 7: औद्योगिक गलियारों की स्थिति

क्र. सं.	गलियारों का नाम	वर्तमान स्थिति	चिन्हित किए गए औद्योगिक नोड्स / शहरों का नाम
1.	दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)	24 निवेश नोड्स में से, 8 औद्योगिक नोड्स को चरण I के तहत छह डीएमआईसी राज्यों की पहचान की गई है। (V) और (vii) को छोड़कर सभी नोड्स के लिए मास्टर प्लान राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण और स्वीकृत किए गए हैं।	i. अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात; ii. शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क, औरंगाबाद, महाराष्ट्र; iii. मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा; iv. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान; v. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक पार्क, राजस्थान; vi. पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश; vii. दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश; viii. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान
2	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईस)	व्यापक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और मास्टर प्लानिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), नोडल एजेंसी द्वारा पूरी की गई है। मास्टर प्लानिंग के लिए तीन नोड्स की पहचान की गई है।	i. कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) ii. तुमकुर (कर्नाटक) iii. पोंनेरी (तमिलनाडु)
3	बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी)	नोडल एजेंसी डीएमआईसीडीसी द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। कर्नाटक में एक मोड की पहचान की गई है;	i. धारवाड़ (कर्नाटक) ii. सांगली / सोलापुर (महाराष्ट्र)

		महाराष्ट्र में एक अन्य एक सिद्धांत अनुमोदन में प्राप्त हुआ है।	
4	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी)	इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (आईएमसी) के लिए सात अस्थायी नोड्स की पहचान की गई है।	i. राजपुरा-पटियाला (पंजाब) ii. गोहाना (हरियाणा) iii. प्राग-खुरपिया फार्म (उत्तराखंड) iv. भाऊपुर (उत्तर प्रदेश) v. गम्हरिया (बिहार) vi. बहरी (झारखंड) vii. रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल)
5	विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी)	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा पूरी की गई वैचारिक विकास योजना रिपोर्ट, नोडल एजेंसी आउट ऑफ़ 4 नोड्स (i) और (iv) को पहले चरण में प्राथमिकता दी गई है।	i. विशाखापट्टनम ii. मछलीपट्टनम iii. डोनाकोंडा आंध्र प्रदेश iv. श्रीकालाहस्ती-येरपेडु

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लेखक द्वारा संकलित;; http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease .aspx?relid=153692 ***और*** *http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor*

तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड)

यह चिन्हित हुए कि बंदरगाह निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भारत ने बंदरगाह-नेतृत्व वाली औद्योगीकरण नीति को अपनाया है। इस बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास की परिकल्पना 'सागरमाला' परियोजना के तहत की गई है। सरकार ने इसे तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) के माध्यम से वितरित करने की योजना बनाई है। ऐसी 14 सीईजेड हैं, जिनकी पहचान भारत के समुद्र तट के किनारे के रुप में की गई है, प्रत्येक तटीय राज्य में एक या अधिक सीईजीड हैं।[37] इन 14 में से चार सीईजेड प्रथम चरण के तहत - गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक के तहत चुने गए हैं। दो सीईजेड के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकारों का चयन करने की प्रक्रिया - गुजरात में कांडला और आंध्र प्रदेश के विजाग में शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में किया गया है। समिति चिन्हित सीईजेड के लिए कार्रवाई के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी।[38]

इसके अलावा, इन औद्योगिक समूहों को पांच औद्योगिक गलियारों (डीएमआईसी, सीबीआईसी, बीएमआईसी, एकेआईसी और वीसीआईसी) के साथ जोड़ा जाएगा। यह अनुमान है कि सीईजेड भारतीय माल निर्यात में $110 बिलियन की वृद्धि करने जा रहा है और 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 60 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा। यह भी अनुमान है कि सागरमाला परियोजना अगले दस वर्षों में भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटा सकती है।[39]

आकृति 20

Source: National Perspective Plan, 2016.

टिप्पणियों का समापन

भारत में विदेशी व्यापार भारत में आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक रहा है। इसके महत्वपूर्ण रुझान निम्नानुसार हैं:

- विश्लेषण से पता चलता है कि प्रत्येक क्रमिक विदेश व्यापार नीति में अपनाई गई उदारीकृत नीतियों ने भारत को उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा हासिल करने में मदद की है।
- यह भी स्पष्ट है कि भारत की विदेश व्यापार नीति पिछले वर्षों में की गई विभिन्न पहलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। एफ़टीपी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशील प्रकृति और आवधिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता तथा भारत के विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को संज्ञान में लेता है।
- यह देखा गया है कि आत्मनिर्भरता पर आधारित आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति का अनुसरण करने के बाद, भारत ने बाह्यताओं के कारण उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। व्यापार नीति उदारीकरण ने विनियमन और लाइसेंसिंग नियंत्रण की डिग्री को कम/ निम्न करके निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया है। यह भी देखा जाता है कि 1992-97 में घोषित विदेश व्यापार नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की गति निर्धारित की, और उसके बाद प्रत्येक एफ़टीपी ने पिछली नीति के लाभ को समेकित करने की मांग की और आगे उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
- लेख में भारत की विदेश व्यापार नीति और व्यापार प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। इसने प्रदर्शित किया है कि उदारीकृत नीतियों का व्यापार की मात्रा और संरचना दोनों के साथ-साथ विदेशी निवेश पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर, एफडीआई और एफपीआई दोनों के संदर्भ में निर्यात, आयात और विदेशी निवेश के मामले में भारत का व्यापार प्रदर्शन 2000 के बाद से काफी सुधरा है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल, जैसे कि एसईजेड पर नीति, निर्यात, निवेश और रोजगार सृजन के पूरक हैं।

- वैश्विक व्यापार नीति के लिए माहौल के साथ, विशेष रूप से संरक्षणवादी की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह भारत के लिए मजबूत आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु खुले बाजारों की आवश्यकता के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को जारी रखने के लिए प्रासंगिक हो जाता है। उल्लेखनीय रूप से, भारत का आर्थिक दृष्टिकोण धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद मजबूत बना हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार 2017-18 में भारत में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है,[40] जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इसी अवधि के लिए 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।[41] संरक्षणवादी दबाव को दूर करने और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए वांछनीय व्यापार नीति स्वायत्त उदारीकरण पर पाठ्यक्रम को बनाए रखना होगा।

- कुल मिलाकर, यह देखा गया है कि भारत की विदेश व्यापार नीति उदारीकरण की प्रक्रिया हेतु प्रतिबद्ध है, जिसे अपनी अर्थव्यवस्था के क्रमिक शुरुआत और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण द्वारा चिह्नित किया गया है। इसी दौरान, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एफ़टीपी को देश के हितों के साथ जोड़ा गया है।

** डॉ. अरुंधति शर्मा विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं।*

अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद के नहीं।

समाप्ति टिप्पणी:

[i] Jayanta Roy, Pritam Banerjee and Ankur Mahanta (n.a), "The Evolution of Indian Trade Policy: State Intervention and Political Economy of Interests Groups". http://www.ipekpp.com/admin/upload_files/Report_3_54_The_2552084041.pdf (accessed on December 19, 2016)

" T. N. Srinivasan and Suresh D. Tendulkar (2004), **Reintegrating India with the World Economy,** New Delhi: Oxford University Press, pp. 27-29.

[iii] *Amita Batra (2013), Regional Economic Integration in South Asia: Trapped in Conflict?, Oxon: Routledge.*

[iv] "India Budget -2014-15, "International Trade". http://indiabudget.nic.in/budget2014-2015/es2013-14/echap-07.pdf (accessed on December 20, 2016)

[v] Institute of Chartered Accountant, India (2008), Handbook of Foreign Trade Policy and Guide to Export and Import, Sahitya Bhawan Publications: Agra, p. 7.
http: // nbaindia. org/uploaded /Biodiversityindia/Legal/6. %20Import%20and%20Export%20(Control)%20Act,%201947.pdf (accessed on December 19, 2016)

[vi] Institute of Chartered Accountant, India (2008), Handbook of Foreign Trade Policy and Guide to Export and Import, Sahitya Bhawan Publications: Agra, p. **8**.
http: // nbaindia. org/uploaded /Biodiversityindia/Legal/6. %20Import%20and%20Export%20(Control)%20Act,%201947.pdf (accessed on December 19, 2016)

[vii] Institute of Chartered Accountant, India (2008), Handbook of Foreign Trade Policy and Guide to Export and Import, Agra: Sahitya Bhawan Publications.
http: // nbaindia. org/uploaded /Biodiversityindia/Legal/6. %20Import%20and%20Export%20(Control)%20Act,%201947.pdf (accessed on December 19, 2016)

[viii] *Rashmi Banga and Abhijit Das (2012), Twenty Years of India's Liberalization: experiences and Lessons, Geneva: UNCTAD.*

[ix] Ministry of Commerce and Industry, Government of India, "Commerce & Industry Minister Shri Kamal Nath's speech on the occasion of announcement of Foreign Trade Policy on Tuesday, August 31, 2004".
http://pib.nic.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=3601 (accessed on December 19, 2016)

[x] Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Annual Report 2011-12. http://commerce.nic.in/publications/pdf/CHAPTER_3.pdf & Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Annual Report 2013-14.
http: //commerce.gov.in/pdf_download/6.External%20Sector%20and%20India_s%20Foreign%20Trade%20Policy%20(FTP)%202009-14.pdf (accessed on December 19, 2016)

[xi] Union Budget 2015-16, "External Sector", Government of India.
http://indiabudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-04.pdf (accessed on January 19, 2017)

™ OECD-WTO (2015), "Trade In Value Added: India".
https://www.oecd.org/sti/ind/tiva/CN_2015_India.pdf (accessed on February 28, 2017)

[xiii] OECD-WTO (2015), "Trade In Value Added: India".
https://www.oecd.org/sti/ind/tiva/CN_2015_India.pdf (accessed on February 28, 2017)

[xiv] OECD-WTO (2015), "Trade In Value Added: India".
https://www.oecd.org/sti/ind/tiva/CN_2015_India.pdf (accessed on February 28, 2017)

[xv] Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce, "Quarterly Factsheet on FDI: From April 2000 to September 2016".

http: // dipp. nic. in /English /Publications/FDI_Statistics/2016/FDI_FactSheet_April_Sep_ 2016.pdf (accessed on December 19, 2016)

[xvl] Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce, "Quarterly Factsheet on FDI: From April 2000 to September 2016". http: //dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2016/ FDI_FactSheet_April_Sep_ 2016.pdf (accessed on December 19, 2016)

[xvlı] Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce, "Quarterly Factsheet on FDI: From April 2000 to September 2016". http: //dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2016/ FDI_FactSheet_April_Sep_ 2016.pdf (accessed on December 19, 2016)

[xviii] "Outward Direct Investment from India: Trends, Objectives and Policy Perspectives", Occasional Paper no. 165, May 2014, EXIM Bank. https: // www. eximbankindia. in /Assets/ Dynamic / PD F/Publication-Resources/ResearchPapers/5file.pdf (accessed on December 20, 2016)

[xix] "Outward Direct Investment from India: Trends, Objectives and Policy Perspectives", Occasional Paper no. 165, May 2014, EXIM Bank. https: // www. eximbankindia. in /Assets/ Dynamic / PD F/Publication-Resources/ResearchPapers/5file.pdf (accessed on December 20, 2016)

[xx] Reserve Bank of India, "Handbook of Statistics on Indian Economy, 2015-16". https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0HANDB_F0651BA902A5244DFB75DA46261B53726.PDF

[xxi] For details regarding GST and Land Acquisition Bill, see Annexes 1 & 2.

[xxii] Government of India, Ministry of External Affairs, Economic Diplomacy Division, "India in Business: Roads and Highways". http: // indiainbusiness.nic.in/newdesign /index. php?param=industryservices_landing/36 7/2 (accessed on March 18, 2017)

[xxiii] Government of India, Ministry of Finance, Press Information Bureau, February 1, 2017. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157859 (accessed on February 28, 2017)

Government of India, Ministry of Commerce and Industry, 'Special Economic Zones in India'. http://sezindia.gov.in/about-introduction.asp (accessed on February 23, 2017) [xxv] Government of India, Ministry of Commerce and Industry, "Factsheet on Special Economic Zones. http://sezindia.gov.in/writereaddata/pdf/factsheet.pdf (accessed on March 15, 2017)

[xxvl] Government of India, Ministry of Commerce and Industry, "Factsheet on Special Economic Zones. http://sezindia.gov.in/writereaddata/pdf/factsheet.pdf (accessed on March 15, 2017)

[xxvii] "Industrial Corridors". http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor (accessed on February 23, 2017)

[xxviii] Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion. http://indiabudget.nic.in/ub2017-18/eb/sbe12.pdf (accessed on March 1, 2017)

[xxlx] Make in India, "Industrial Corridors", http://www.makeinindia.com/live-projects- industrial-corridor (accessed on February 27, 2017)

[xxx] Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Reply by Smt. Nirmala Sitharaman to Lok Sabha, Unstarred Question No. 681, February 6, 2017. http://dipp.nic.in/English/questions/06022017/lu681.pdf (accessed on April 5, 2017)

[xxxi] Make in India, "Industrial Corridors", http://www.makeinindia.com/live-projects- industrial-corridor (accessed on February 27, 2017)

[xxxii] Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Reply by Smt. Nirmala Sitharaman to Lok Sabha, Unstarred Question No. 681, February 6, 2017. http://dipp.nic.in/English/questions/06022017/lu681.pdf (accessed on April 5, 2017) [xxxlll] Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Reply by Smt. Nirmala Sitharaman to Lok Sabha, Unstarred Question No. 681, February http://dipp.nic.in/English/questions/06022017/lu681.pdf (accessed on April 5, 2017)

[xxxiv] "ADB Approves Funds to Build India's First Coastal Industrial Corridor", News Release, Asian Development Bank, September **20**, **2016**. https://www.adb.org/news/adb-approves-funds-build-india- s-first-coastal-industrial-corridor (accessed on February **27**, **2017**)

[xxxv] "Comprehensive Integrated Master Plan for Chennai Bengaluru Industrial Corridor Final Report",

October 2015. http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12249348.pdf (accessed on February 27, 2017)

[xxxvi] Sajan C Kumar, "Chennai-Bangalore corridor promises win-win for all; here's how", The Indian Express, June 17, 2016. http://www.financialexpress.com/industry/chennai-bangalore-corridor-promises-win-win-for-all-heres-how/288023/ (accessed on February 27, 2017)

[37] Government of India, Ministry of Shipping, "Sagarmala", National Perspective Plan, April 2016. http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/apr/p201641402.pdf (accessed on March 15, 2017)

[38] As per the telephonic conversation with an official in the Ministry of Shipping, Government of India, on April 10, 2017.

[39] Government of India, Ministry of Shipping, "Sagarmala", National Perspective Plan, April 2016. http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/apr/p201641402.pdf (accessed on March 15, 2017)

[40] The World Bank, "Global Economic Prospects: Weak Investments in Uncertain Times", January 2017. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pdf

[41] International Monetary Fund (IMF), "World Economic Outlook: Update 2017", January 16, 2017. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117.pdf

अनुलग्नक 1

वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017

व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 को सरकार द्वारा 20 मार्च, 2017 को मंजूरी दे दी गई है, और 29 मार्च, 2017 को इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। पूर्ण जीएसटी कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की उम्मीद है। भारत की अप्रत्यक्ष कर संरचना में सबसे बड़े सुधारों में से एक माने जाने वाले इस विधेयक का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान तथा सामान्य कर लागू करके करों की बहुलता में कमी लाना है। इसका मतलब है कि उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर और वैट जैसे राज्यों के शुल्क अंतरिम कर जीएसटी के तहत शामिल हो जाएंगे। सरल कर प्रणाली कीमत की एकरूपता और कर प्रणाली में पारदर्शिता लायेगी। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं:[41]

i. विधेयक में चार कर की दर यानी 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी का प्रावधान है। कुछ वस्तुएं और सेवाएं छूट वाली वस्तुओं की सूची में होंगी। जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण किसी भी राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने हेतु विलासिता और पाप के सामान पर 28 प्रतिशत की दर से उपकर पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा।

ii. 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले 90 प्रतिशत करदाताओं पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन एवं केंद्रीय कर प्रशासन के साथ 10 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं पर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्र और राज्य कर प्रशासन के लिए प्रत्येक 50 प्रतिशत के अनुपात में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

तालिका 8. वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017	
केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017 (सीजीएसटी विधेयक)	केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और वसूलने का प्रावधान।

एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)	केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और वसूलने का प्रावधान।
केंद्र शासित प्रदेश का माल और सेवा कर विधेयक 2017 (यूटीजीएसटी विधेयक)	संघ राज्य क्षेत्रों में बिना विधायिका के वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर इंट्रा-यूटी पर कर के संग्रह पर लगान का प्रावधान। केंद्र शासित प्रदेश जीएसी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एसजीएसटी) के बराबर है, जो राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों रा माल या सेवाओं की राज्य आपूर्ति या दोनों पर लगाया और वसूला जाएगा।
माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)	संविधान की धारा 18 (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करता है।

स्रोत: केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)

अनुलग्नक 2

भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015

भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2015 सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) को औद्योगिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के विकास या शहरीकरण के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है, और प्रभावित भूमि मालिकों तथा उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करता है।[41] भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यापित किया गया, विधेयक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन (तालिका 9) करता है।[41]

तालिका 9

प्रावधान	**भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013**	**भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन (संशोधन, दूसरा अध्यादेश विधेयक, 2015**
	छूट	
सहमति	i. सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति आवश्यक नहीं है। ii. सार्वजनिक-निजी भागीदारी	सहमति की आवश्यकताओं से छूट वाली परियोजनाएं : (i) रक्षा, (ii) ग्रामीण बुनियादी ढाँचा,

	परियोजनाओं के लिए 70% भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है। iii. निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है।	(iii) किफायती आवास, (iv) सरकार / सरकारी उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे, सड़क/रेलवे के दोनों ओर एक किमी तक कॉरिडोर, और (v) पीपीपी परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा जहां सरकार भूमि का मालिक हो
सामाजिक प्रभाव का आकलन (एमआईए)	सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य, लेकिन: (i) तात्कालिकता के मामले में या (ii) सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर, जहां पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है।	i. उपरोक्त पाँच प्रकार की परियोजनाओं के लिए छूट। ii. सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता भूमि के अनुसार हो।
सिंचित बहु-फसल भूमि	राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक सीमा से अधिक सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।	i. उपरोक्त पाँच प्रकार की परियोजनाओं के लिए छूट। ii. सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता भूमि के अनुसार हो।
विविध		
सरकार द्वारा अपराध	सरकारी विभाग द्वारा अपराध किया जाता है / विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा जब तक कि वह यह नहीं साबित कर देता कि उसने अपराध के कमीशन को रोकने के लिए उचित प्रयास किया था।	न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा, बशर्ते दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
निजी 'कंपनियों' से 'संस्था'	निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत शामिल के रूप में परिभाषित किया गया है।	'निजी कंपनी' का शब्द 'निजी संस्था' में बदल गया है, जिसे सरकारी संस्था के अलावा एक संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, निगम, गैर-लाभकारी आदि शामिल हैं।
अनुपयोगी भूमि की वापसी	यदि अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि कब्जे की तारीख से पांच साल तक अप्रयुक्त रहती है, तो उसे मूल मालिकों या भूमि बैंक को वापस करना होगा।	जिस अवधि के बाद अप्रयुक्त भूमि को वापस करना होगा, वह है: (i) पांच साल, या (ii) परियोजना की स्थापना के समय निर्दिष्ट कोई भी अवधि।
प्राधिकरण	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन प्राधिकरण (एलएआरआर)	उस जिले में सुनवाई आयोजित करें जहां संदर्भ में आपत्तियों के निपटारे के लिए भूमि अधिग्रहण होता है।
पुनर्वास और पुनःस्थापन पुरस्कार	प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी शामिल है।	'खेतिहर मजदूर के ऐसे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए अनिवार्य रोजगार सहित' के रुप में संशोधित।

स्रोत: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (संशोधन) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार दूसरा अध्यादेश, 2015